



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122022-241413
CG-DL-E-26122022-241413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5805]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944

No. 5805]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6048(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कच्चा तेल/गैस/पानी परिवहन के लिए PPM#03, PPM#09, PPM#16 से PPM#01 MANI FOLD (4"Gas Line), ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नीरवय - करैकल -609604 (पॉन्डिचेरी) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची						
तालुका : किलाकराई				जिला : रामनाथपुरम		
राज्य : तमिलनाडु						
क्रम सं.	तालुका का नाम	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	किलाकराई	रघुनाथपुरम	168	00	10	16
			51	00	32	66
			52	00	45	85
			48	00	34	60
			47	00	12	29
			46	00	24	24
			45	00	22	12
			183	00	29	41
			184	00	53	34
			185	00	68	11
			263	00	58	40
			280	00	00	07
			281	00	45	41
			175	00	76	91
			174	00	33	51

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/90/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी(इ-45241)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6048(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil/Gas/Water from **PPM#03, PPM#09, PPM#16 TO PPM#01 MAIN FOLD (4" Gas Line)**, should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., Neravy - Karaikal – 609604 (Puducherry).

SCHEDULE						
TALUKA: KILAKARAI			DISTRICT: RAMANATHAPURAM			
STATE: TAMILNADU						
Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	Survey / Block No.	Area Statement		
				Hect.	Are.	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6	7
1	KILAKARAI	RAGUNATHAPURAM	168	00	10	16
			51	00	32	66
			52	00	45	85
			48	00	34	60
			47	00	12	29
			46	00	24	24
			45	00	22	12
			183	00	29	41
			184	00	53	34
			185	00	68	11
			163	00	58	40
			280	00	00	07
			281	00	45	41
			175	00	76	91
			174	00	33	51

[F. No. Expl-11032(11)/90/2022-EXPL-I-PNG(E- 45241)]

R. K. KUREEL, Director